

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2025/ 376

जबलपुर, दिनांक : 11/7/2025

प्रति,

स्मरण-पत्र

प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त
कम्प्यूटर साइंस महाविद्यालयों के
प्राचार्यगण।

विषय:- कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल के पुर्नगठन विषयक ।

संदर्भ:-वि.वि. का पत्र क्रमांक/अका./2025/334 जबलपुर दिनांक 24/06/2025

महोदय,

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2) एवं (3) के अन्तर्गत गणतीय विज्ञान संकाय के अधीन कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल का गठन किया जाना है । जिसमें धारा 28 (2) एवं धारा 28 (4) के निम्न प्रावधान के अन्तर्गत महाविद्यालयीन विभागाध्यक्षों का नाम निर्देशन किया जाना है, यथा:-

Section 28(2)(ii): Two Heads of College Department in College teaching the said subject up to the postgraduate level to be nominated by the Kulpati by rotation according to seniority.

Section 28(2)(iv): Two Heads of College Department in College teaching the said subject upto the degree level to be nominated by the Kulpati by rotation to seniority.

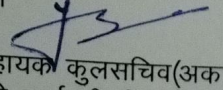
अतः आपसे अनुरोध है कि गणतीय विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्षों के नाम जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है, इस कार्यालय को दिनांक 15/07/2025 तक अविलम्ब भेजें साथ ही स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष हैं यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो अलग-अलग कॉलम में ।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

पृ० क्रमांक/अका./2025/ 376 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।


कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।
जबलपुर, दिनांक : 11/7/2025


सहायक कुलसचिव(अका.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।